भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं.841

जिसका उत्तर 21.11.2019 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटना पीड़ितों हेतु नगदरहित उपचार की सुविधएं

841. श्री राहुल रमेश शेवालेः

श्री भर्तृहरि महताबः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटना-पीड़ितों को नगदरहित उपचार की सुविधा प्रदान करने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में इस प्रायोगिक परियोजना के शुरू होने के बाद से उनके पीड़ितों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है जिन्हें नगदरहित उपचार प्रदान किया गया है;

(ग) उक्त परियोजना की मुख्य विशेषताएं और कवरेज क्या हैं;

(घ) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और मौजूदा वर्ष के दौरान देश में सूचित सड़क दुर्घटनाओं और ऐसी दुर्घटनाओं में मारे गए/घायल हुए लोगों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ग): सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों के निम्नलिखित खंडों पर सड़क दुर्घटना-पीड़ितों को नगदरहित उपचार सुविधा देने के लिए तीन पायलट परियोजना शुरू की थी।

(i) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के गुरुग्राम-जयपुर खंड (जुलाई 2013 से मई 2016 तक लागू)

(ii) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के वडोदरा-मुंबाई खंड (सितंबर 2014 से मार्च 2016 के दौरान लागू)

(iii) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 के रांची रारगांव-महुलिया खंड (सितंबर 2014 से मार्च 2016 के दौरान लागू)

पायलट परियोजना में दुर्घटना-पीड़ितों को दुर्घटना स्थान से अस्पताल ले जाने के लिए परिवहन और जहां आवश्यक हो प्रथम 48 घंटें में एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, सार्वजनिक या निजी अस्पताल में इलाज या 30,000/- रु. जो भी पहले हो, की परिकल्पना की गई है ताकि ''गोल्डन ऑवर'' के दौरान त्वरित और उचित चिकित्सा देखभाल प्रदान करके दुर्घटना -पीड़ितों की जान बचाई जा सकें। पायलट परियोजना के दौरान 13,888 दुर्घटना-पीड़ितों को नगदरहित उपचार उपलब्ध कराया गया था।

(घ): राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के पुलिस विभागों द्वारा प्रस्तुत आकडों के आधार पर तैयार की गई है। पिछले तीन वर्षों में कुल सड़क दुर्घटनाओं, सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए और घायल व्यक्तियों की कुल संख्या निम्नानुसार है:-

वर्ष	सड़क दुर्घटनाओं की कुल सं. (सं. में)	मारे गए व्यक्तियों की कुल सं. (सं. में)	घायल व्यक्तियों की कुल सं. (सं. में)
2016	4,80,652	1,50,785	4,94,624
2017	4,64,910	1,47,913	4,70,975
2018	4,67,044	1,51,417	4,69,418

पिछले तीन वर्षों में कुल सड़क दुर्घटनाओं, सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए और घायल व्यक्तियों की कुल संख्या **अनुलग्नक-I से III** पर है।

(ड.): सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए नीचे उल्लिखित विवरण के अनुसार कई कदम उठाए हैं:-

i सरकार ने राजमार्ग प्रयोक्ताओं के लिए एक मोबाइल ऐप शुरू किया है, जिसका नाम "सुखद यात्रा 1033" है। इससे राजमार्ग प्रयोक्ता दुर्घटनाओं सहित राष्ट्रीय राजमार्गों के गड्ढों और अन्य सुरक्षा खतरों की शिकायत कर सकते हैं।

ii अभिनिर्धारित ब्लैक स्पॉटों (दुर्घटना संभावित स्थलों) में सुधार।

iii राजमार्ग के विकास के सभी चरणों अर्थात् डिजाइन / निर्माण / परिचालन चरणों में सड़क सुरक्षा ऑडिट किए जा रहे हैं ।

iv सुरक्षित सड़क पार करने के लिए पैदल यात्रियों और अन्य सड़क प्रयोक्ताओं को फुट ओवर ब्रिज और अंडर पास जैसी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

v राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क प्रयोक्ताओं के बीच सुरक्षित व्यवहार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है।

vi सरकार ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति अनुमोदित की है। इस नीति में विभिन्न उपाय बताए गए हैं जैसे जागरूकता संवर्धित करना, सड़क सुरक्षा सूचना डाटाबेस स्थापित करना, कुशल परिवहन के उपयोग सहित सुरक्षित सड़क अवसंरचना को प्रोत्साहित करना, सुरक्षा कानूनों का प्रवर्तन आदि का सारांश बताया गया है।

vii मंत्रालय ने परिवहन की बेहतर प्रणालियों की जांच करने और सड़क सुरक्षा को सुधारने के लिए विषयों का सुझाव देने के लिए राज्यों के परिवहन मंत्रियों के मंत्री समूह का गठन किया है। मंत्री समूह की सिफारिशों के आधार पर, मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा के संपूर्ण विस्तार को सम्मिलित करते हुए मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2017 पेश किया था।

viii मंत्रालय ने 4 'ई' अर्थात् शिक्षा, इंजीनियरिंग (सड़क और वाहन दोनों के लिए), प्रवर्तन और आपात परिचर्या पर आधारित सड़क सुरक्षा के मुद्दे के समाधान के लिए एक बहुआयामी रणनीति तैयार की है।

ix सड़क सुरक्षा को योजना स्तर पर सड़क डिजाइन के एक अभिन्न भाग के रूप में बनाया गया है।

x राष्ट्रीय राजमार्ग की चार लेनिंग के लिए शुरुआत को 15,000 पैसेंजर कार यूनिट (पीसीयू) से घटाकर 10,000 पीसीयू कर दिया गया है। राज्यीय राजमार्गों के लगभग 52,000 किमी खंडों को राष्ट्रीय राजमार्गों में बदलने के लिए अभिज्ञात किया गया है।

xi राज्यों में आदर्श ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करना और असंगठित क्षेत्र में भारी मोटर वाहनों के चालकों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण।

xii इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से सड़क सुरक्षा पर समर्थन/प्रचार अभियान।

xiii वाहनों के सुरक्षा मानकों को सख्त बनाना जैसे सीट बेल्ट, एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम आदि।

xiv राष्ट्रीय राजमार्गों पर ब्लैक स्पॉटों (दुर्घटना संभावित स्थलों) के अभिनिर्धारण और दोष निवारण को उच्च प्राथमिकता दी गई है।

xv मंत्रालय ने सड़क प्रयोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दोष निवारण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए अभिनिर्धारित सड़क दुर्घटना ब्लैक स्पॉटों के दोष निवारण के लिए विस्तृत प्राक्कलनों के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के क्षेत्रीय अधिकारियों को तकनीकी अनुमोदन के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन किया है।

xvi मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन दिनांकित 14.01.2016 के तहत या तो ईपीसी/बीओटी परियोजनाओं अथवा स्टैंड अलोन सड़क सुरक्षा संपरीक्षा के भाग के रूप में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा संपरीक्षा करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे।

xvii दिव्यांगों के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर पैदल यात्री सुविधाओं के लिए दिशानिर्देश भी सभी राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों को जारी कर दिए गए हैं।

xviii भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी (आईएएचई) ने सड़क सुरक्षा संपरीक्षकों के लिए एक प्रमाणन पाठ्यक्रम शुरू किया है और 42 संपरीक्षकों के पहले बैच को प्रमाणित किया है।

xix सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क प्रयोक्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए देश के प्रत्येक जिले में जिले के माननीय संसद सदस्य (लोक सभा) की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति गठित की है।

xx राजमार्ग पर चलने वाले ट्रक / बस चालकों के लिए नि: शुल्क नेत्र जांच शिविर और चश्मों का वितरण किया जाता है।

xxi देशभर में फैली एनएचएआई परियोजना में शामिल एनएचएआई के फिल्ड कर्मचारियों / रियायत-पीड़ितों / ठेकेदारों / परामर्शदाताओं का प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता बढ़ाना।

xxii सुरक्षित सड़क पार करने के लिए पैदल यात्रियों और अन्य सड़क प्रयोक्ताओं को फुट ओवर ब्रिज और अंडर पास जैसी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

xxiii माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार फाइल संख्या आरडब्ल्यू/एनएच-33044/309/2016 / एस एंड आर दिनांकित 06-04-2017 और 01-06-2017 के परिपत्र के माध्यम से शराब की दुकानें हटाना।

अनुलग्नक-I

'राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटना पीड़ितों हेतु नगदरहित उपचार की सुविधएं' के संबंध में श्री राहुल रमेश शेवाले और श्री भर्तृहरि महताब द्वारा पूछे गए दिनांक 21.11.2019 के लोक सभा लिखित प्रश्न संख्या 841 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

2016 से 2018: सभी सड़कों पर सड़क दुर्घटनाओं की कुल संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघराज्य-क्षेत्र	राज्य/संघराज्य-क्षेत्र-वार सड़क दुर्घटनाओं की कुल संख्या		
		2016	**2017**	**2018**
1	आंध्र प्रदेश	24,888	25,727	24,475
2	अरुणाचल प्रदेश	249	241	277
3	असम	7435	7170	8248
4	बिहार	8222	8855	9600
5	छत्तीसगढ़	13580	13563	13864
6	गोवा	4304	3917	3,709
7	गुजरात	21,859	19081	18,769
8	हरियाणा	11234	11,258	11238
9	हिमाचल प्रदेश	3168	3114	3110
10	जम्मू और कश्मीर	5501	5624	5978
1 1	झारखंड	4932	5198	5394
12	कर्नाटक	44403	42,542	41,707
13	केरल	39,420	38,470	40,181
14	मध्य प्रदेश	53,972	53,399	51,397
15	महाराष्ट्र	39,878	35,853	35,717
16	मणिपुर	538	578	601
17	मेघालय	620	675	399
18	मिजोरम	83	68	53
19	नगालैंड	75	531	430
20	ओडिशा	10532	10855	11262
21	पंजाब	6952	6273	6428
22	राजस्थान	23,066	22112	21,743
23	सिक्किम	210	196	180
24	तमिलनाडु	71,431	65,562	63,920
25	तेलंगाना	22,811	22,484	22230
26	त्रिपुरा	557	503	552
27	उत्तराखंड	1591	1603	1468
28	उत्तर प्रदेश	35612	38,783	42,568
29	पश्चिम बंगाल	13580	11,631	12705
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	238	189	254
31	चंडीगढ़	428	342	316
32	दादरा और नगर हवेली	70	67	80
33	दमन और दीव	71	79	76
34	दिल्ली	7375	6673	6515
35	लक्षद्वीप	1	1	3
36	पुडुचेरी	1766	1693	1597
कुल		**480,652**	**464,910**	**467,044**

अनुलग्नक-।।

'राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटना पीड़ितों हेतु नगदरहित उपचार की सुविधएं' के संबंध में श्री राहुल रमेश शेवाले और श्री भर्तृहरि महताब द्वारा पूछे गए दिनांक 21.11.2019 के लोक सभा लिखित प्रश्न संख्या 841 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कैलेंडर वर्षों 2016 से 2018: के दौरान भारत में सड़क दुर्घटनाओं और सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघराज्य-क्षेत्र			
		2016	**2017**	**2018**
1.	**आंध्र प्रदेश**	8541	8060	7556
2.	**अरुणाचल प्रदेश**	149	110	175
3.	**असम**	2572	2783	2966
4.	**बिहार**	4901	5554	6729
5.	**छत्तीसगढ़**	3908	4136-	4592
6.	**गोवा**	336	328	262
7.	**गुजरात**	8136	7289	7996
8.	**हरियाणा**	5024	5120	5118
9.	**हिमाचल प्रदेश**	1271	1203	1208
10.	**जम्मू और कश्मीर**	958	926	984
11.	**झारखंड**	3027	3256	3542
12.	**कर्नाटक**	11133	10,609	10990
13.	**केरल**	4287	4131	4303
14.	**मध्य प्रदेश**	9646	10,177	10706
15.	**महाराष्ट्र**	12935	12,264	13261
16.	**मणिपुर**	81	136	134
17.	**मेघालय**	150	182	182
18.	**मिजोरम**	70	60	45
19.	**नगालैंड**	46	41	39
20.	**ओडिशा**	4463	4790	5315
21.	**पंजाब**	5077	4463	4740
22.	**राजस्थान**	10465	10444	10320
23.	**सिक्किम**	85	78	85
24.	**तमिलनाडु**	17,218	16,157	12,216
25.	**तेलंगाना**	7219	6596	6603
26.	**त्रिपुरा**	173	161	213
27.	**उत्तराखंड**	962	942	1047
28.	**उत्तर प्रदेश**	19320	20124	22256
29.	**पश्चिम बंगाल**	6544	5769	5711
30.	**अंडमान और निकोबार द्वीप समूह**	17	21	19
31.	**चंडीगढ़**	151	107	98
32.	**दादरा और नगर हवेली**	46	43	54
33.	**दमन और दीव**	38	36	35
34.	**दिल्ली**	1591	1584	1690
35.	**लक्षद्वीप**	1	0	1
36.	**पुडुचेरी**	244	233	226
	कुल	**150,785**	**147,913**	**151,417**

अनुलग्नक-।।।

'राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटना पीड़ितों हेतु नगदरहित उपचार की सुविधएं' के संबंध में श्री राहुल रमेश शेवाले और श्री भर्तृहरि महताब द्वारा पूछे गए दिनांक 21.11.2019 के लोक सभा लिखित प्रश्न संख्या 841 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

2016 से 2018: भारत में सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों की कुल संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघराज्य-क्षेत्र	2016	2017	2018
1	आंध्र प्रदेश	30051	27,475	23456
2	अरुणाचल प्रदेश	391	316	323
3	असम	6127	6163	7375
4	बिहार	5651	6014	6679
5	छत्तीसगढ़	12,955	12550	12,715
6	गोवा	2026	1922	1549
7	गुजरात	19,949	16,802	17467
8	हरियाणा	10531	10,339	10020
9	हिमाचल प्रदेश	5764	5452	5551
10	जम्मू और कश्मीर	7692	7419	7845
1 1	झारखंड	3793	3918	3975
12	कर्नाटक	54556	52,961	51,562
13	केरल	44108	42,671	45,468
14	मध्य प्रदेश	57,873	57532	54,662
15	महाराष्ट्र	35,884	32128	31,365
16	मणिपुर	955	1027	1042
17	मेघालय	354	354	205
18	मिजोरम	68	55	80
19	नगालैंड	120	375	335
20	ओडिशा	11312	11,198	11,794
21	पंजाब	4351	4218	3384
22	राजस्थान	24,103	22071	21,547
23	सिक्किम	263	479	370
24	तमिलनाडु	82,163	74571	74,537
25	तेलंगाना	24,217	23,990	23,613
26	त्रिपुरा	853	718	741
27	उत्तराखंड	1735	1631	1571
28	उत्तर प्रदेश	25,096	27,494	29,664
29	पश्चिम बंगाल	11,859	10091	11,997
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	323	263	260
31	चंडीगढ़	329	302	300
32	दादरा और नगर हवेली	130	60	66
33	दमन और दीव	102	70	94
34	दिल्ली	7154	6604	6086
35	लक्षद्वीप	0	1	3
36	पुडुचेरी	1786	1741	1727
कुल		**494,624**	**470,975**	**469,418**

*****